

लीभ ट्रेवल कन्सेशन नियमावली

***विषय-** राज्य के सरकारी सेवकों को लीभ ट्रेवल कन्सेशन (Leave Travel Concession) की सुविधा देने के सम्बन्ध में।

राज्य के सरकारी सेवकों को राज्य के महत्वपूर्ण स्थानों को देखने के लिए वित्त विभाग के संकल्प संख्या 182 दिनांक 14-1-1987 के जरिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन कलेंडर वर्ष 1986 से सेवाकाल में अधिक-से-अधिक चार बार लीभ ट्रेवल कन्सेशन की सुविधा प्रदान की गई थी:-

- (क) सरकारी सेवक नियमित स्थापना पर हो,
- (ख) सरकारी सेवक के रूप में दस वर्ष की सेवा पूरी कर चुका हो,
- (ग) प्रत्येक बार अधिक से अधिक निम्नलिखित दर के अनुसार दावा की प्रतिपूर्ति की जायगी:-

श्रेणी-1 एवं 2	1,000/- रु०
श्रेणी- 3	7,50/- रु०
श्रेणी- 4	500/- रु०

2. लीभ ट्रेवल कन्सेशन की उपर्युक्त राशि की दर एवं भुगतान की प्रक्रिया के संशोधन का विषय राज्य सरकार के विचाराधीन था। राज्य सरकार ने इस विषय पर सम्यक रूप से विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि लीभ ट्रेवल कन्सेशन सेवाकाल में अधिक-से-अधिक चार बार निम्नलिखित संशोधित दर पर दिया जाय:-

कर्मचारी की श्रेणी	अधिकतम प्रतिपूर्ति की दर
चतुर्थ वर्ग	750/- रु०
तृतीय वर्ग	1,000/- रु०
द्वितीय एवं प्रथम वर्ग	1,500/- रु०

साथ ही सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि लीभ ट्रेवल कन्सेशन की यह सुविधा बिहार राज्य में या बिहार राज्य के बाहर कहीं भी यात्रा करने के लिए दी जाये। यह सुविधा वैसे सरकारी सेवकों को ही अनुमान्य होगी जो नियमित स्थापना में हो तथा सरकारी सेवक के रूप में 10 (दस) वर्षों की सेवा पूरी कर चुके हों।

3. उपर्युक्त सुविधा से सम्बन्धित व्यय बजट शीर्ष, "252-सचिवालय सामान्य सेवाएं-सचिवालय-वित्त विभाग" से वहन किए जायेंगे।

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा शर्तों से सम्बन्धित अनुदेश एवं नियमावली (जिसके अनुरूप ही यात्रा अनुमान्य होगी) अलग से बनाकर निर्गत किया जायेगा। [*वित्त विभाग संकल्प 3 पी० ए० आर० 01-86-601 वि० दिनांक 5-3-1987।]

***विषय-** लीभ ट्रेवल कन्सेशन नियमावली, 1986।

राज्य सरकार ने वित्त विभाग के संकल्प संख्या-601 वि० दिनांक 5-3-1987 के जरिए राज्य के सरकारी सेवकों को बिहार राज्य में या बिहार राज्य के बाहर देश में कहीं भी यात्रा करने के लिए कुछ शर्तों के अधीन कलेंडर वर्ष 1986 से लीभ ट्रेवल कन्सेशन की सुविधा देने का निर्णय लिया है। लीभ ट्रेवल कन्सेशन की सुविधा विभिन्न शर्तों के अधीन किस हद तक सरकारी सेवकों को देय हो, इस आशय का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था।

2. पूर्ण विचारोपरान्त राज्य सरकार ने संलग्न परिशिष्ट में यथा उल्लिखित नियमों एवं शर्तों के अधीन लीभ ट्रेवल कन्सेशन की सुविधा का विनियमन करने का निर्णय लिया है।

3. यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा। [*वित्त विभाग संकल्प संख्या 6857 वि० दिनांक 13-11-1987।]

परिशिष्ट

लीभ ट्रेवल कन्सेशन का विनियमन करने वाले नियम एवं शर्तें :-

1. यह नियम "बिहार राज्य सरकारी सेवक लीव ट्रेवल कन्सेशन नियमावली, 1986" कही जायेगी।

2. यह नियमावली कैलेंडर वर्ष 1986 से लागू समझी जायेगी।
 3. राज्य सरकार इस नियमावली का निर्वचन करने और स्वविवेक से इसमें समय-समय पर संशोधन करने की शक्ति सुरक्षित रखती है।
 4. यह नियमावली राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन वैसे सभी सरकारी सेवकों पर लागू होंगे जो इस नियम के अधीन यात्रा प्रारम्भ करने की तिथि को दस वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर चुके हो।
 - (क) अनाधिकृत अनुपस्थिति की अवधि लगातार सेवा की न्यूनतम अवधि में गणना करते समय सेवा में टूट मानी जायेगी। जबतक कि इस टूट (Break) को सक्षम पदाधिकारी द्वारा माफ नहीं कर दिया गया जाय।
 - (ख) सरकारी सेवक के निलम्बन की स्थिति में यह सुविधा सरकारी सेवक के परिवार को अनुमान्य होगी।
 5. इस नियम के प्रयोजनार्थ सरकारी सेवक के परिवार का अर्थ वही होगा जो बिहार यात्रा भत्ता नियमावली के नियम 12 में परिभाषित है।
 - (1) जहाँ पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवक हो और दोनों एक साथ रहते हों तो पति अथवा पत्नी दोनों में से एक इस नियम के अन्तर्गत इस सुविधा का उपयोग दूसरे को परिवार का सदस्य मानकर करेंगे।
 - (2) जहाँ पति-पत्नी दोनों सरकारी सेवक हों लेकिन अलग-अलग रहते हों तो दोनों स्वतन्त्र सरकारी सेवक की भाँति अलग-अलग इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।
 6. लीभ ट्रेवल कन्सेशन की यह सुविधा उन लोगों को अनुमान्य नहीं होगी :—
 - (क) जो पूर्णकालिक सरकारी सेवक नहीं हैं; या,
 - (ख) जिन्हें वेतन आदि का भुगतान आकस्मिकता मद से किया जाता है।
 7. इस नियम के अन्तर्गत सरकारी सेवक को बिहार राज्य या राज्य के बाहर परन्तु देश में कहीं भी स्वयं तथा परिवार के सदस्यों के साथ यात्रा करने की सुविधा 4 कैलेंडर वर्ष के ब्लॉक (Block) में एक बार देय होगी जो सेवाकाल में चार बार तक सीमित रहेगी। ब्लॉक (Block) वर्ष की गणना कैलेंडर वर्ष 1986 से प्रारम्भ समझी जायेगी। इस प्रथम सुविधा ब्लॉक (Block) वर्ष 1986-1987 में उपभोग करने के उपरान्त शेष तीन सुविधा का उपयोग ब्लॉक (Block) वर्ष 1990-1993, 1994-1997 एवं 1998-2001 में सरकारी सेवक अपनी सेवाकाल में कर सकते हैं।
 - (1) सरकारी सेवक लीव ट्रेवल कन्सेशन की सुविधा को दूसरे चार वर्ष के ब्लॉक के प्रथम वर्ष अग्रणीत कर सकते हैं।
 8. पुनर्नियोजित सरकारी सेवकों को भी लगातार एक वर्ष की सेवा पूरी होने पर यह सुविधा उपलब्ध होगी बशर्ते कि सक्षम पदाधिकारी इस आशय का प्रमाण पत्र दें कि पुनर्नियोजित सेवक राज्य सरकार के अधीन पदभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष तक सेवा में बने रहेंगे। लेकिन सेवा-निवृत्त होने के तुरंत बाद पुनर्नियोजन के मामले में पुनर्नियोजित सेवा लीभ ट्रेवल कन्सेशन के लिए पिछली सेवा के साथ लगातार मानी जायेगी बशर्ते कि यदि वे सेवा निवृत्त नहीं होते और लगातार कार्यरत रहते तो उन्हें लीभ ट्रेवल कन्सेशन अनुमान्य हो गया होता।
- स्पष्टीकरण :** यदि कोई सरकारी सेवक सेवा-निवृत्त होने के पूर्व के ब्लॉक वर्ष में लीभ ट्रेवल कन्सेशन की सुविधा का उपयोग कर लिया है और बिना टूट के पुनर्नियोजित हुआ है तो वे उक्त ब्लॉक वर्ष की समाप्ति के पूर्व इस सुविधा का उपयोग नहीं कर सकते हैं।
9. राज्य सरकार के निगमों/निकायों आदि में वाहा सेवा शर्तों पर प्रतिनियुक्त राज्य सरकार के सेवकों को लीभ ट्रेवल कन्सेशन की यह सुविधा होगी। इस सुविधा पर होनेवाली व्यय की प्रतिपूर्ति सम्बन्धित निगमों/निकायों द्वारा की जायेगी।
 10. राज्य या देश के किसी स्थान पर केवल निकटतम मार्ग (Shortest Route) से ही आने और जाने का यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा, परन्तु प्रत्येक बार यात्रा करने के लिये निम्नलिखित अधिकतम दर से ही दावा की प्रतिपूर्ति देय होगी :-

कर्मचारी की श्रेणी	अधिकतम प्रतिपूर्ति की दर
(क) चतुर्थ वर्ग -	750/- रु०
(ख) तृतीय वर्ग -	1,000/- रु०
(ग) द्वितीय एवं प्रथम वर्ग -	1,500/- रु०

11. राज्य के सरकारी सेवकों की श्रेणी का वर्गीकरण कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा किये गये वर्गीकरण के अनुसार माना जायेगा।

12. वेतन की परिभाषा वही होगी जो बिहार सेवा संहिता के नियम 34 (क) (1) में परिभाषित है। वेतन में वैयक्तिक वेतन भी सम्मिलित है। विशेष वेतन सम्मिलित नहीं होगा।

13. (1) रेल यात्रा— इस सुविधा के लिये सरकारी सेवक रेल यात्रा के लिए बिहार यात्रा भत्ता नियमावली के नियम (46) (1) के अनुसार जिस श्रेणी में यात्रा करने के हकदार हैं, यात्रा कर सकते हैं, किन्तु यदि वे जिस श्रेणी में यात्रा करने के हकदार हैं, उससे निम्न श्रेणी में, यात्रा करें तो दोनों में जो कम हो उसी श्रेणी के किराये की प्रतिपूर्ति देय होगी। रेल किराया के साथ स्थान आरक्षण का व्यय भी अनुमान्य होगा किन्तु प्रासंगिक देय नहीं होगा।

(2) सड़क यात्रा— सड़क से यात्रा करने की सुविधा पर्यटन विकास निगम, राज्य परिवहन निगम एवं सरकार या स्थानीय निकायों के बसों से देय होगी।

(3) अपनी गाड़ी—से यात्रा करने की सुविधा अनुमान्य होगी परन्तु यह सुविधा लीभ ट्रेवल कन्सेशन के लिए निर्धारित वित्तीय सीमा के अन्दर देय होगी। अपनी गाड़ी से यात्रा करने पर बिहार यात्रा भत्ता नियमावली के नियम 57 (iii) में उल्लिखित दर से निर्धारित वित्तीय सीमा के अन्दर मील भत्ता देय होगा। उधार या किराये की गाड़ी या निजी मालिकों द्वारा सम्पोषित बसों, मान या किराये की अन्य गाड़ियों से यात्रा करने की सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।

14. इस नियम के अन्तर्गत सरकारी सेवक चुने गये स्थानों की अग्रिम सूचना अपने नियंत्रण पदाधिकारी को देंगे। घोषित स्थानों में परिवर्तन किये जाने की भी सूचना नियंत्रण पदाधिकारी को यात्रा प्रारम्भ करने के पूर्व ही देनी होगी। फिर भी यदि सुनिश्चित हो जाय कि यात्रा प्रारम्भ करने के पहले किसी सरकारी सेवक द्वारा स्थान परिवर्तन की सूचना नहीं देने के कुछ ऐसे कारण मौजूद हैं जो सरकारी सेवक के नियंत्रण के बाहर हैं तो उस स्थिति में विभागाध्यक्ष/प्रशासी विभाग स्थान परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं।

15. अवकाश—यह सुविधा सरकारी सेवकों द्वारा नियमित रूप से स्वीकृत अवकाश के दौरान ही उपभोग की जायेगी। नियमित अवकाश में उपार्जित छुट्टी आधे, वेतन पर छुट्टी, असाधारण छुट्टी एवं आकस्मिक छुट्टी सम्मिलित है।

विश्रामावकाशी (Vocation) विभागों में कार्यरत सरकारी सेवकों के मामले में विश्रामावकाश (Vacation) की गणना लीभ ट्रेवल कन्सेशन के लिए नियमित छुट्टी में की जायेगी : परन्तु यह सुविधा वैसे सरकारी सेवक को अनुमान्य नहीं होगी जो नियमित छुट्टी में प्रस्थान करने के उपरान्त अपने कर्तव्य पर वापस आने के पूर्व ही अपना पद त्याग कर देते हैं।

16. यात्रा से लौटने के छः महीने के अवधि की अन्दर यात्रा बिल उपस्थापित नहीं करने पर संबंधित सरकारी सेवक के लीभ ट्रेवल कन्सेशन के दावे की प्रतिपूर्ति के अधिकार स्वतः समाप्त हो जायेंगे। यह वैसी यात्रा पर लागू होगा जिसके लिए अग्रिम नहीं लिया गया हो।

17. (1) अग्रिम - लीव ट्रेवल कन्सेशन की सुविधा का उपयोग करने के लिए प्रत्येक बार सरकारी सेवकों को कंडिका-10 में उल्लिखित दावा की प्रतिपूर्ति देय दर का 80% (अस्सी प्रतिशत) अग्रिम के रूप में स्वीकृत किया जायेगा।

(2) अस्थायी सरकारी सेवकों को किसी स्थायी सरकारी सेवक प्रतिभूति (Surety) लेने पर अग्रिम स्वीकृत किया जायेगा।

(3) ऐसे सरकारी सेवक जो यात्रा भत्ता के लिए स्वयं नियंत्रण पदाधिकारी हो, वे स्वयं अपना अग्रिम स्वीकृत करेंगे।

(4) इस योजना के अधीन लिए गये अग्रिम का समायोजन यात्रा समाप्ति के पश्चात् उसी प्रकार होगा जिस प्रकार सरकारी यात्रा के लिए यात्रा अग्रिम लिया जाता है।

(5) अग्रिम स्वीकृत होने के 30 दिनों के अन्दर यात्रा प्रारम्भ नहीं किये जाने पर अग्रिम की पूरी राशि वापस कर देनी होगी।

(6) यात्रा प्रारम्भ करने के लिए 30 दिन पूर्व अग्रिम की निकासी की जा सकती है।

(7) अग्रिम के समायोजन हेतु यात्रा से वापस होने पर एक महीने के अन्दर लीभ ट्रेवल कन्सेशन सम्बन्धी भुगतान के दावे किये जायेंगे।

(8) अग्रिम की वसूली/समायोजन की देख-देख संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी करेंगे।

(9) सभी कार्यालयों में लीभ ट्रेवल कन्सेशन सम्बन्धी दावे के लिए अलग रजिस्टर का संधारण किया जायेगा। प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह में रजिस्टर बन्द किये जायेंगे एवं कार्यालय प्रधान के समक्ष समायोजन हेतु अग्रिम की वसूली के लिए आदेश प्राप्त करने हेतु उपस्थापित किये जायेंगे।

(10) अग्रिम की स्वीकृति हेतु निहित शर्तों का अनुपालन नहीं करने पर या लीभ ट्रेवल कन्सेशन के लिए स्वीकृत किये जानेवाले अग्रिम सम्बन्धित नियमों की अवहेलना किये जाने पर नियंत्रण पदाधिकारी द्वारा मोटरकार को छोड़कर अन्य वाहन अग्रिम के लिये निर्धारित सूद दर के ऊपर 2½ % दंड सूद (Penal Interest) लिया जायेगा।

18. लीभ ट्रेवल कन्सेशन के लिये, लिये गये अग्रिम या इससे सम्बन्धित व्यय का विकलन बजट शीर्ष-“2052-सचिवालय सामान्य सेवायें-090-सचिवालय-23-लीव ट्रेवल कन्सेशन” से किया जायेगा।

19. यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति के दावे यात्रा भत्ता के विहित परिपत्र में किये जायेंगे। विपत्र के साथ इस आशय का एक प्रमाण-पत्र देना होगा कि यात्रा वास्तव में की गयी थी एवं जिस श्रेणी में यात्रा की गयी थी वे प्रतिपूर्ति के लिए किये गये दावे से नीचे के श्रेणी के नहीं हैं।

20. लीभ ट्रेवल कन्सेशन के दावे के भुगतान के लिए सह सुनिश्चित करने हेतु कि इसकी स्वीकृति के लिए सभी शर्तें पूरी कर ली गई हैं, यात्रा भत्ता विपत्र के साथ फार्म एक एवं दो में नियंत्रण पदाधिकारी एवं सरकारी सेवक के प्रमाण-पत्र दिए जायेंगे।

21. इन नियमों के अधीन दी गयी सुविधा के अभिलेख का समुचित रूप से संधारण किया जायेगा। स्वयं निकासी पदाधिकारी के अभिलेख का संधारण महालेखाकार करेंगे। अन्य सरकारी सेवकों के अभिलेख का संधारण उनकी सेवापुस्ति में किया जायेगा। सेवा-पुस्ति संधारण करने वाले पदाधिकारियों का दायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक अवसर पर सरकारी सेवक द्वारा नियमित अवकाश में प्रस्थान करने पर यह तथ्य कि उन्होंने लीव ट्रेवल कन्सेशन की सुविधा का उपभोग किया है या नहीं, इसकी प्रविष्टि इनकी सेवा-पुस्ति में कर दी जाय।

प्रपत्र-1

नियंत्रण पदाधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है :-

- (1) कि श्री/श्रीमती/कुमारी (सरकारी सेवक का नाम) लीभ ट्रेवल कन्सेशन की सुविधा उपयोग करने की तिथि को लगातार 10 वर्ष या इससे अधिक की सेवा पूरी कर लिए हैं।
- (2) कि लीभ ट्रेवल कन्सेशन नियमावली के नियम-19 के अनुसार श्री/श्रीमती/.....कुमारी की सेवा पुस्त में आवश्यक प्रविष्टि कर दी गई है (कॉडिका -II केवल अराजपत्रित सरकारी सेवकों के लिए।)

(नियंत्रण पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं पदनाम)

प्रपत्र-II

सरकारी सेवक द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र :-

- मैंने अपने लिए लीभ ट्रेवल कन्सेशन का कोई दावा ब्लॉक वर्ष के लिए पूर्व में प्रस्तुत नहीं किया है।
2. मैंने अपने द्वारा की गई छुट्टी रियायत यात्रा के लिए अग्रिम की निकासी की है। यह दावा मेरे द्वारा की गई यात्रा के लिए है।
3. मैंने छुट्टी रियायत यात्रा के लिए की गई यात्रा हेतु यात्रा अग्रिम की निकासी नहीं की है।
4. मैंने वास्तव में घोषित स्थानों की यात्रा की है।
5. मैंने लीभ ट्रेवल कन्सेशन विपत्र में अंकित रेलवे यात्रा में स्वयं एवं अपने परिवार के सदस्यों के साथ उसी श्रेणी में यात्रा की है जिसके लिए दावे प्रस्तुत किए गये हैं।
6. प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे पति/पत्नी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं हैं एवं इस सुविधा का उपभोग अलग से मेरे (पत्नी)/मेरे (पति) द्वारा या अलग-अलग किसी परिवार के सदस्य के लिए सम्बन्धित ब्लॉक वर्ष में नहीं किया गया है।
7. प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरी पत्नी/मेरे पति जिसके लिए मैंने लीभ ट्रेवल कन्सेशन का दावा प्रस्तुत किया है (सरकारी निगम/निकाय/स्वैच्छिक संस्थानों आदि का नाम) में कार्यरत है, जहाँ लीभ ट्रेवल कन्सेशन की सुविधा उपलब्ध है लेकिन उन्होंने अपने इम्प्लायर से इस प्रकार का कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया है और न कोई दावा प्रस्तुत करेंगे।

8. प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरी पत्नी/मेरे पति जिसके लिए मैंने लीभ ट्रेवल कन्सेशन का दावा प्रस्तुत किया है, राज्य सरकार द्वारा पूर्ण या आंशिक रूप से वित्त सम्पोषित निगम/निकाय/स्वैच्छिक संस्थानों जहाँ लीभ ट्रेवल कन्सेशन की सुविधा उपलब्ध है, में कार्यरत नहीं है।

सरकारी सेवक का हस्ताक्षर

प्रपत्र-III

लीभ ट्रेवल कन्सेशन अग्रिम की स्वीकृति के लिए आवेदन-पत्र का प्रपत्र

1. सरकारी सेवक का नाम
2. पदनाम
3. सरकारी सेवा में नियुक्ति की तिथि
4. वर्तमान वेतन
5. स्थायी या अस्थायी
6. क्या पति/पत्नी नौकरी में हैं यदि हाँ तो क्या लीभ ट्रेवल कन्सेशन की सुविधा देय है?
7. (क) दर्शनीय स्थानों के नाम :—
(ख) किस ब्लॉक वर्ष के लिए है
8. उन व्यक्तियों का नाम जिनके लिए भी ट्रेवल कन्सेशन की सुविधा ली जा रही हो :—

क्रम संख्या	नाम और उम्र	सम्बन्ध
-------------	-------------	---------

9. अग्रिम की रकम :—

मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे जानकारी में उपर्युक्त विवरण सही है। यात्रा के रद्द होने पर अग्रिम की राशि को एक मुस्त वापस कर दूँगा।

दिनांक

हस्ताक्षर

चेक लिस्ट

(कार्यालय में व्यवहार के लिए)

1. कॉलम 1 से 5 तक जाँचा
2. प्रतिपूर्ति की राशि
3. अनुमान्य अग्रिम की राशि (कॉलम-2) 80 प्रतिशत रुपये अग्रिम स्वीकृत किया सकता है।

या

अग्रिम अनुमान्य नहीं है क्योंकि

(1) सरकारी सेवक ने न्यूनतम सेवा पूरी नहीं की है

(2) सरकारी सेवक ने पूर्व में लीभ ट्रेवल कन्सेशन के लिए स्वीकृत अग्रिम का उपयोग नहीं किया है, जिसे बाद में दंड सूद दिया / दंड सूद के साथ वसूल किया गया था।

कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर

क्रम संख्या	अग्रिम/अंकित बिल संख्या एवं तिथि	सरकारी सेवक का नाम एवं पदनाम	ब्लॉक वर्ष	दर्शनीय स्थान	जिसके लिए दावे प्रस्तुत किये गये	अग्रिम की राशि/अंकित दावे	समंजन की बिल संख्या एवं तिथि	दावे की प्राप्ति की तिथि	बिल की रकम स्कूल	भुगतये राशि	अशुद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

[बिहार सरकार, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग संकल्प संख्या 3/आर 1-405/82 का 3746 दिनांक 31 मार्च, 1986 का उद्धरण।]

विषय— राज्य के सरकारी सेवाओं/पदों का वर्गीकरण।

चतुर्थ पुनरीक्षण के उपरान्त सेवाओं/पदों के वर्गीकरण की पुनः आवश्यकता हो गयी है। अतः

पुनरीक्षित वेतन के आधार पर अब सेवाओं/पदों को निम्नरूप में वर्गीकृत किया जाता है :—

- (1) श्रेणी 1 :— वैसी सभी सेवायें और पद जिनका अधिकतम वेतन 2000/- या उससे अधिक हो।
- (2) श्रेणी 2 :— वैसे सेवायें और पद जिनका अधिकतम वेतन 2000/- रु० से नीचे हो परन्तु 1501 रु० से ऊपर हो।
- (3) श्रेणी 3 :— वैसी सभी सेवायें और पद जिनका अधिकतम वेतन 1501/- रु० या उससे नीचे हो पर 480/- रु० से अधिक हो। इसमें अधिकतम वेतन 480/- या उससे कम के वैसे पदों को भी सम्मिलित किया जाय जो विशेष रूप से श्रेणी 3 में सम्मिलित किये गये हों।
- (4) श्रेणी 4 :— वैसी सभी सेवायें और पद जिनका अधिकतम वेतन 480/- रु० तक हो।

टिप्पणी :— “वेतन” शब्द से अर्थ पद का मौलिक वेतन है और उसमें विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन एवं भत्ते आदि सम्मिलित नहीं होंगे।

लीभ ट्रेवल कन्सेशन में वृद्धि

*विषय— राज्य के सरकारी सेवकों के लीभ ट्रेवल कन्सेशन की दरों का पुनरीक्षण करने के सम्बन्ध में।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 601 दिनांक 5 मार्च, 1987 एवं संकल्प संख्या 6857, दिनांक 13-11-1987 के जरिए निर्गत लीभ ट्रेवल कन्सेशन नियमावली, 1986 के नियम 10 के अधीन कैलेंडर वर्ष, 1986 से सेवाकाल में चार निम्नलिखित दरों से लीभ ट्रेवल कन्सेशन की सुविधा दी गई है :—

चतुर्थ श्रेणी —	750 रुपये
तृतीय श्रेणी —	1,000 रुपये
द्वितीय एवं प्रथम श्रेणी —	1,500 रुपये

2. उक्त दर को पुनरीक्षित करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था। पूर्ण विचारोपरान्त राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि लीभ ट्रेवल कन्सेशन हेतु विभिन्न श्रेणी के सरकारी सेवकों के लिए वर्तमान दर को 1992-1995 ब्लॉक वर्ष से निम्नलिखित प्रकार से संशोधित किया जाय :—

श्रेणी	दर
श्रेणी 1 एवं 2	2,000/- रुपये
श्रेणी 3	1,500/- रुपये
श्रेणी 4	1,000/- रुपये

3. लीभ ट्रेवल कन्सेशन की सुविधा के सम्बन्ध में अन्य नियम एवं शर्तें वही रहेंगे जो लीभ ट्रेवल कन्सेशन नियमावली 1986 में अंकित है।

4. लीभ ट्रेवल कन्सेशन नियमावली, 1986 को हद तक संशोधित समझा जाय।

[* ज्ञाप संख्या 3/पी०ए०आर०-01/92-1336 वि०, पटना, दिनांक 28-3-1992]

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, पत्र संख्या-3एम-2-भत्ता- 12/99-खंड-8/4252 वि० (2), दिनांक 22-6-2000। प्रेषक, श्री रामेश्वर सिंह, सरकार के विशेष सचिव। सेवा में, महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/पो०-हिन्नु, राँची।]

विषय— राज्य के सरकारी सेवकों, को देय छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा में संशोधन के संबंध में।

निदेशानुसार कहना है कि वित्त विभाग के संकल्प सं०-601-दिनांक 5-3-1987 एवं संकल्प सं०-6857 दिनांक 13-11-1987 के जरिए निर्गत लीभ ट्रेवल कन्सेशन नियमावली 1986 की कौंडिका 10 के अधीन कैलेंडर वर्ष 1986 से सेवाकाल में चार बार राज्य कर्मियों को छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा प्रदान की गई है—

1. वित्त विभाग के संकल्प सं०-1136 दिनांक 28-3-1992 के द्वारा पूर्व की दरों को पुनरीक्षित कर निम्नलिखित दर निर्धारित की गई है—

श्रेणी	दर
श्रेणी-1 एवं 2	2000 रु०
श्रेणी-3	1500 रु०
श्रेणी-4	1000 रु०

2. राज्य सरकार अपने सेविगर्ग को केन्द्रीय कर्मियों के अनुरूप वेतनमान एवं अन्य भत्ते स्वीकृत करने में सैद्धांतिक रूप से सहमत है।

3. उक्त के आलोक में गठित फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा के अनुरूप वित्त विभाग के संकल्प सं०-660 वि० (2), दिनांक 8-2-1999 द्वारा सरकारी सेवकों को संशोधित वेतनमान एवं अन्य भत्ते स्वीकृत किये जाने के साथ ही छुट्टी यात्रा रियायत संशोधन का विषय राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

4. फिटमेंट कमिटी की अनुशंसा पर सम्यक रूप में विचारोपरान्त राज्य सरकार ने लीव ट्रेवल कन्सेशन यात्रा के संबंध में चिन्हित शर्तों के अधीन अधोलिखित निर्णय लिया है :—

(i) केन्द्रीय कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के कार्यक्षेत्र यानी पूरे देश की क्षेत्रीय सीमा में लीव ट्रेवल कन्सेशन की सुविधा अनुमान्य है तदुनुरूप राज्य के कर्मियों को राज्य की सीमा क्षेत्र के अंदर एल०टी०सी० सुविधा अनुमान्य होगी।

(ii) जो राज्य कर्मी बिहार राज्य के बाहर रियायती अवकाश यात्रा पर जायेंगे उन्हें उनके मार्ग में बिहार राज्य में अवस्थित अंतिम रेलवे स्टेशन तक रेलभाड़ा अनुमान्य होगा।

5. लीव ट्रेवल कन्सेशन की सुविधा राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन वैसे सभी सरकारी सेवकों को अनुमान्य होगी जो यात्रा प्रारम्भ करने की तिथि को 1 वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर चुके हैं। यदि अनाधिकृत गैर हाजिरी या अन्य कारण से सेवाभंग हुई हो और मगर उसे माफ न किया गया हो तब उसे एक साल की लगातार सेवा में भी भंग होना माना जायेगा।

6. चार वर्ष के ब्लॉक में लीव ट्रेवल कन्सेशन का लाभ कर्मचारी राज्य में कही भी जाने के लिए ले सकता है।

7. दो वर्ष के ब्लॉक में एक बार राज्य के अंदर अपने घर जाने के लिए छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा अनुमान्य होगी।

8. एल०टी०सी० से संबंधित दावा की प्रतिपूर्ति संशोधित यात्रा भत्ता नियमावली में निर्धारित अनुमान्यता के अनुसार होगी।

वेतन सीमा	अनुमान्य श्रेणी
(i) 18,400 रु० एवं इससे अधिक	राष्ट्रीय वायुयान परिवहन में इकोनोमी श्रेणी की यात्रा
(ii) 16,400 रु० और अधिक किन्तु 18,400 रु० से कम	ट्रेन से वातानुकूलित प्रथम श्रेणी
(iii) 8,000 रु० और अधिक किन्तु 16,400 रु० से कम	ट्रेन से वातानुकूलित II टीयर
(iv) 4,100 रु० और अधिक किन्तु 8,000 रु० कम	ट्रेन से प्रथम श्रेणी/वातानुकूलित III टीयर/वातानुकूलित चैयरकार
(v) 4,100 रु० से कम	ट्रेन से-II स्लीपर श्रेणी।

(क) राजधानी और शताब्दी ट्रेनों की पात्रता वही है जैसी स्थानान्तरण यात्राओं पर है, यह सुविधा तभी मिलेगी जब यात्रा इन ट्रेनों से ही की जाए और यात्रा शुरू करने के गंतव्य स्टेशन इन ट्रेनों से जुड़े हो।

(ख) रेल में आरक्षण के लिए अतिरिक्त व्यय होगा उसकी प्रतिपूर्ति संबंधित सरकारी सेवकों को दी जायेगी।

(ग) सार्वजनिक बस से यात्रा की पात्रता वही होगी जो यात्रा भत्ता नियमों में दी गई है।

(घ) प्राइवेट आपरेटरों की कार या बस या अन्य वाहन जो उनके अपने हों या उन्होंने किराये या उधार लिये हों उनसे यात्रा करने पर रियायत नहीं मिलेगी।

(ड) निर्धारित दर पर प्राइवेट बस से यात्रा की जा सकती है।

9. छुट्टी यात्रा रियायत के तहत सरकारी कर्मचारी प्रस्तावित यात्रा के लिए पैंतीस दिन पहले अपने लिए या अपने परिवार के सदस्यों के लिए अग्रिम ले सकता है।

10. रियायत स्वयं और परिवार के लिए देय होगी।

11. कर्मचारी निलम्बित हो तो रियायत केवल परिवार को मिलेगी खुद कर्मचारी को नहीं।

12. पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के आलोक में "परिवार" के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी की पत्नी या पति जो उसके साथ रहते हैं और दो जीवित बच्चे या सौतेले बच्चे जो उसके साथ रहते हों और उस पर पूरी तरह आश्रित हों, शामिल हैं। इनके अलावा परिवार में माता पिता, सौतेली माता, अविवाहित बहन भाई और विवाहित पुत्रियाँ जो तलाक-शुदा या परित्यक्ता, हों और जो कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित हों, विधवा बहनें भी शामिल होगी बशर्ते या माता-पिता जीवित न हो या वे माता-पिता स्वयं ही कर्मचारी पर आश्रित हो, आते हैं। आश्रित होने के लिए उनकी सभी माध्यमों से कुल आय 1,500 ₹० मासिक से अधिक न हो।

13. (क) दो जीवित बच्चों का प्रतिबंध कर्मचारी के वर्तमान बच्चों या इस प्रतिबंध के लागू होने के एक वर्ष के अंदर पैदा हुए बच्चों या जुड़वा बच्चा पैदा होने पर लागू नहीं होगा।

(ख) परिवार में एक से अधिक पत्नी शामिल नहीं हैं, परन्तु वैधता प्राप्त दूसरी पत्नी शामिल हो सकती है।

14. अविवाहित कर्मचारी, यदि उसका परिवार मुख्यालय से बाहर रहता हो, केवल अपने लिए प्रत्येक, वर्ष रियायत ले सकेगा। परिवार के साथ यह रियायत दो वर्ष में एक बार मिलेगी।

15. जब पति और पत्नी दोनों राज्य के कर्मचारी हो :—

(क) अगर वे अलग रहते हैं तो अपना गृह नगर स्वतंत्र रूप से घोषित कर सकते हैं।

(ख) दोनों अपने-अपने परिवार के लिए रियायत ले सकते हैं जैसे पति अपने माता पिता अथवा अवयस्क भाई-बहनों के लिए और पत्नी अपने माता-पिता अथवा अवयस्क भाई बहनों के लिए।

(ग) एक विशिष्ट ब्लॉक में बच्चे माता पिता में से किसी एक ही परिवार में शामिल होकर रियायत पा सकेंगे।

(घ) पति या पत्नी जब अपने विवाहित के परिवार में शामिल होकर रियायत ले तो वह केवल खुद के लिए स्वतंत्र रूप से रियायत नहीं ले सकेंगे।

(ड) यदि कर्मचारी की पत्नी/पति या बच्चे आदि उसके मुख्यालय के अलावा किसी अन्य जगह रहते हों तो उनका गृह नगर का दावा उस रकम तक ही सीमित रहेगा जो कर्मचारी के मुख्यालय से गृह नगर तक यात्रा के लिए देय हो।

(च) एक ही ब्लॉक वर्ष में स्वयं और परिवार के लिए रियायत अलग अवसरों पर ली जा सकती है।

(छ) परिवार के सदस्य एक या अधिक जगहों में यात्रा कर सकते हैं, किन्तु प्रत्येक ग्रुप अपनी बाहर जाने की यात्रा की तिथि के छः माह के भीतर यात्रा पूरी कर लें।

16. अविवाहित विकलांग कर्मचारी के साथ अनुरक्षक की अनुमति विभागाध्यक्ष की स्वीकृति से दी जा सकती है बशर्ते उसकी जरूरत हो और कर्मचारी के परिवार में कोई वयस्क न हो या वह (अनुरक्षक) स्वयं इस सुविधा का हकदार न हो।

17. सेवापुस्त/सेवा-इतिहास में दर्ज गृह जिला माना जायेगा, विशेष परिस्थिति में राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त कर विभागाध्यक्ष गृह जिला परिवर्तन कर सकता है।

18. गृह नगर रियायत के लिए ब्लॉक वर्ष की शुरुआत कैलेंडर वर्ष 2000 से की जा रही है-दो वर्षों का ब्लॉक होगा 2000-2001, 2002-2003, 2004-2005 आदि।

19. एल०टी०सी० की सुविधा 4 (चार) कैलेंडर वर्ष में एक बार मिलेगी। ब्लॉक वर्ष की गणना कैलेंडर वर्ष 1986 से प्रारम्भ की जायेगी। यथा 1986-1989, 1990-1993, 1994-1997, 1998-2001, 2003-2005।

20. रियायत अग्रणीत करना एक ब्लॉक की रियायत अगले ब्लॉक के पहले वर्ष के आखिर तक ली जा सकती है जैसे-2000-2001 की रियायत बाहर जाने की यात्रा 31-12-2001 तक शुरू की जा सकती है। वापसी यात्रा इस सीमा के बाहर होगी।

21. प्रतिपूर्ति की सीमा बिहार राज्य की सीमा के स्टेशन/शहर तक अनुमान्य श्रेणी का किराया अथवा वास्तव में जिस श्रेणी से यात्रा की गयी हो, दोनों में से जो कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी। रेल/सड़क से आने-जाने के किराये का 80 प्रतिशत अग्रिम के रूप में दिया जा सकेगा, कोई प्रासंगिक खर्च दैनिक भत्ते के रूप में नहीं दिये जायेंगे।

22. छुट्टी यात्रा रियायत का दावा यदि अग्रिम लिया जाय तो वापसी यात्रा की तिथि के एक माह के अन्दर दावा प्रस्तुत कर देना होगा। यदि ऐसा न किया गया तो बकाया रकम अग्रिम एक मुश्त वसूल कर लिया जायेगा और यह माना जायेगा कि अग्रिम की स्वीकृति नहीं की गई। उसके अलावा भविष्य निधि के निर्धारित सूद के दर से 2 प्रतिशत अधिक सूद पूरे अग्रिम लेने की तारीख से वसूली की तारीख तक की अवधि पर लिया जायेगा। रियायत का दावा वापसी यात्रा पूरी होने पर तीन माह के अन्दर प्रस्तुत नहीं किए जाने पर निरस्त हो जायेगा।

23. रियायत के दुरुपयोग के लिए दण्ड छुट्टी यात्रा रियायत के दुरुपयोग और जालसाजी के दावे प्रस्तुत करने के लिए अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

(क) कार्यवाही के दौरान — दावा रोक लिया जायेगा (ii) आगे छुट्टी यात्रा रियायत दावे की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(ख) दोषी पाए जाने पर (1) रोकें गये रियायत के दावे की अनुमति नहीं दी जायेगी (ii) आगे की रियायतों के दो सेट एक गृह नगर के लिए और दूसरे अन्य जगह के लिए निरस्त कर दिए जायेंगे।

24. किसी कर्मचारी के लिए इन प्रावधानों में कोई शिथिलीकरण नहीं किया जा सकेगा।

25. यह आदेश पहली जनवरी, 2000 से प्रभावी होगी।

26. लीभ ट्रेवेल कंसेशन नियमावली, 1986 की कण्डिका 4, 5, 10, 12 एवं 17 की उप-कंडिका 5, 6, 10, को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, पत्रांक-3 एम-2-5भत्ता-12/99 (खंड-8) 3708, पटना, दिनांक 20-6-2001। प्रेषक, रामेश्वर सिंह, अपर वित्त आयुक्त (संसाधन)। सेवा में प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०-1), बिहार एवं झारखंड, पो०-हीनू, राँची/महालेखाकार (ले० एवं ह०-II), बिहार एवं झारखंड, वीरचंद पटेल पथ, पटना।]

विषय- राज्यकर्मियों को केन्द्र के अनुरूप रियायती अवकाश यात्रा (एल०टी०सी०) की दी गयी सुविधा को अगले दो वर्षों के लिए स्थगन के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभागीय संकल्प संख्या-4252 दिनांक 22-6-2000 द्वारा राज्य कर्मियों को दिनांक 1-1-2000 के प्रभाव से संशोधित रियायती अवकाश यात्रा की सुविधा प्रदान की गयी थी।

2. केन्द्र सरकार ने कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्यालय आदेश सं० 31011/3/2001 ऐस्ट (ए) दिनांक-2-3-2001 द्वारा रियायती अवकाश यात्रा की सुविधा को 2-3-2001 के प्रभाव से 2 वर्षों के लिए स्थगित करने का निर्णय संसूचित किया है।

3. केन्द्र सरकार द्वारा लिए गये उपर्युक्त निर्णय के अनुसरण में राज्यकर्मियों को देय रियायती अवकाश यात्रा की सुविधा के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय लिया गया है।

(i) दिनांक 1-4-2001 के प्रभाव से अगले 2 वर्षों के लिए वित्त विभागीय संकल्प संख्या-4252 दिनांक-22-6-2000 के अधीन देय रियायती अवकाश यात्रा की सुविधा स्थगित रहेगी। परन्तु, जिन कर्मियों की सेवा निवृत्ति दिनांक- 1-4-2003 के पूर्व होने वाली है, उन्हें यह सुविधा अनुमान्य होगी यदि वर्तमान ब्लॉक वर्ष की सुविधा का उन्होंने उपभोग नहीं किया हो।

(ii) जिन कर्मियों को रियायती अवकाश यात्रा अग्रिम की स्वीकृति हो चुकी है, किन्तु उनके द्वारा इस आदेश के निर्गत होने के पूर्व यात्रा नहीं की गयी है, तो उनके द्वारा निकासी की गई अग्रिम राशि की तुरंत वापसी की जायेगी। इसके लिए उन्हें कोई दंडात्मक सूद की राशि जमा नहीं करनी पड़ेगी।

(iii) जो कर्मी रियायती अवकाश यात्रा की सुविधा की स्वीकृति होने के उपरान्त यात्रा में अभी कहीं गये हों परन्तु इस यात्रा के लिए टिकट इत्यादि खरीद लिया हो तो वे तुरंत इसकी वापसी करेंगे। टिकटों की वापसी चार्ज के बतौर कटौती की गई राशि की प्रतिपूर्ति उन्हें संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा की जायेगी।

(iv) जो कर्मी राज्य सरकार द्वारा उपर्युक्त निर्णयों के निर्गत होने की तिथि के पूर्व ही यात्रा के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, वे रियायती अवकाश यात्रा के लागू नियमों और प्रावधानों के अधीन अपनी यात्रा पूरी कर सकेंगे।

4. उपर्युक्त निर्णय राज्य सरकार द्वारा पूर्ण: या अंशतः अनुदानित/नियंत्रित सभी स्वशासी/वैधिक संस्थाओं पर लागू होंगे। उपर्युक्त आदेश राज्य सरकार के अधीन पदस्थापित/कार्यरत/राज्य संवर्ग के अखिल भारतीय सेवाओं के पदाधिकारियों पर भी लागू होगा।

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, पत्र संख्या-3 एम० 2-5, भत्ता 2/5-6490/वि० (2), दिनांक 9 अगस्त, 2002। प्रेषक, रमा कान्त सिंह, सरकार के उप सचिव। सेवा में, महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना।]

विषय— राज्य के सरकारी सेवकों को छुट्टी यात्रा रियायत सुविधा में संशोधन के सम्बन्ध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्त विभागीय परिपत्र सं०-4252 दिनांक 22-6-2000 द्वारा अवकाश यात्रा रियायती सुविधा में संशोधन किया गया था तथा इसे 1-1-2000 से प्रभावी किया गया था। राज्य सरकार के समक्ष ऐसे मामले आए गए हैं कि कतिपय सरकारी कर्मियों द्वारा उपर्युक्त परिपत्र निर्गत होने के पूर्व ही पुराने नियम के अधीन यात्रा की स्वीकृति प्राप्त की गई थी तथा यात्रा सम्पन्न कर लिया गया था। नये नियम को दिनांक 1-1-2000 से प्रभावी होने के फलस्वरूप पुराने नियम के अधीन किए गए यात्रा के यात्रा भत्ता विपत्र के सामंजस्य में कठिनाई उत्पन्न हो गयी है।

उपर्युक्त कठिनाई के निराकरण हेतु पूर्ण विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त परिपत्र सं०-4252 दिनांक 22-6-2000 की प्रभावी होने की तिथि 1-1-2000 ही मानी जाए। यदि किसी कर्मचारी/पदा० द्वारा 1-1-2000 से 22-6-2000 के बीच समक्ष पदाधिकारी की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर यात्रा कर ली गई हो, तो उन्हें पूर्व के नियमों के आलोक में स्वीकृत दर पर यात्रा भत्ता की राशि की प्रतिपूर्ति कर दी जाए तथा ऐसे यात्रा को ब्लॉक वर्ष 2000-2003 की यात्रा माना जाए।

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, पत्र संख्या-3 एम-2-5-भत्ता 12/99 खंड 9886/वि (2), दिनांक 1-12-2003 की प्रतिलिपि।]

विषय— दिनांक 31-3-2004 तक सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों को एल०टी०सी० सुविधा दिए जाने के सम्बन्ध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभागीय परिपत्र सं० 3708, दिनांक 20-6-2001 से अगले दो वर्ष तक के लिए स्थगित रखने का सरकारी निर्णय से सूचित किया गया था। उक्त परिपत्र द्वारा यह भी सूचित किया गया था कि जिन कर्मियों की सेवा निवृत्ति दिनांक 1-4-2003 के पूर्व होनेवाली है उन्हें यह सुविधा अनुमान्य होगी।

2. राज्य कर्मियों के लिए एल०टी०सी० के अन्तर्गत यात्रा की सुविधा की पुनः बहाली के संबंध में अंतिम निर्णय नहीं हो सका है। अतः वैसे कर्मी जो दिनांक 31-3-2004 तक सेवानिवृत्त होनेवाले हैं तथा वर्तमान ब्लॉक वर्ष में एल०टी०सी० की सुविधा का उपयोग नहीं किये हों को एल०टी०सी० के अन्तर्गत यात्रा की सुविधा अनुमान्य की जा सकती है।

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, पत्र संख्या-3 एम-2-5-भत्ता 12/99-1776/वि (2), दिनांक 2-4-2005 की प्रतिलिपि। प्रेषक, श्री सुनील प्रसाद श्रीवास्तव, सरकार के उप सचिव। सेवा में, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना।]

विषय— राज्यकर्मियों को अवकाश रियायती यात्रा की सुविधा के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्यालय आदेश संख्या 31011/3/2001 एस्ट (ए), दिनांक 2-3-2001 द्वारा रियायती अवकाश यात्रा की सुविधा को दिनांक 2-3-2001 के प्रभाव से दो वर्षों के लिए स्थगित कर देने के निर्णय के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा भी पत्रांक 3708, दिनांक 20-6-2001 द्वारा दिनांक 1-4-2001 के प्रभाव से रियायती अवकाश यात्रा की सुविधा दो वर्षों के लिए स्थगित कर दी गई थी।

भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप सं० 31011/3/2001 स्था० (ए), दिनांक 13-3-2003 द्वारा केन्द्रीय कर्मियों के लिए रियायती अवकाश यात्रा की सुविधा पुनः बहाल कर दी गई है।

राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त राज्यकर्मियों को दिनांक 1-4-2005 के प्रभावी से रियायती अवकाश यात्रा की सुविधा पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। राज्य के सरकारी सेवकों को वित्त विभाग के पत्रांक 4252, दिनांक 22-6-2000 में निहित शर्तों के अधीन रियायती अवकाश यात्रा की सुविधा अनुमान्य होगी।

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, संचिका सं० आ०-3-भत्ता-02/2006/5819 वि० (2), दिनांक 5-9-2006 की प्रतिलिपि]

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 4131, दिनांक 8-8-1990 द्वारा राज्य के पुलिस कर्मियों के साथ आरक्षी उपाधीक्षकों को 200 रु० प्रतिमाह वाहन भत्ता 30 रु० प्रतिमाह धुलाई भत्ता तथा 75 रु० प्रतिमाह विशेष कर्तव्य भत्ता की स्वीकृति दी गयी थी। वित्त विभाग के संकल्प सं० 4411, दिनांक 2-8-1997 द्वारा आरक्षी उपाधीक्षकों को 800 रु० प्रतिमाह वाहन भत्ता की संशोधित स्वीकृति दी गयी थी। दिनांक 1-1-1996 के प्रभाव से वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप उपरोक्त भत्तों का भुगतान बन्द कर दिया गया था। बाद में राज्य सरकार ने राज्य के पुलिस कर्मियों (आरक्षी से लेकर आरक्षी निरीक्षक) को विभिन्न भत्तों की संशोधित स्वीकृति दी गयी। किन्तु बिहार आरक्षी सेवा के पदाधिकारियों को उपर्युक्त भत्तों के भुगतान के सम्बन्ध में स्वीकृति दी गयी। किन्तु बिहार आरक्षी सेवा के पदाधिकारियों को उपर्युक्त भत्तों के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका।

2. बिहार आरक्षी सेवा के पदाधिकारियों को उपर्युक्त भत्तों की स्वीकृति का विषय सरकार के विचाराधीन था।

3. सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार ने बिहार आरक्षी सेवा के पदाधिकारियों को निम्नांकित भत्तों की स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया है-

(क) वाहन रख रखाव भत्ता 800 (आठ सौ) रु० प्रतिमाह-स्वयं का कार या जीप रखने पर।

(ख) विशेष कर्तव्य भत्ता 300 (तीन सौ) रु० प्रतिमाह।

(ग) धुलाई भत्ता 120 (एक सौ बीस) रु० प्रतिमाह।

वाहन रखरखाव भत्ता प्राप्त करने वाले बिहार आरक्षी सेवा के पदाधिकारियों को कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत भ्रमण करने के लिए अलग से यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

4. 30 दिनों से अधिक अवधि तक लगातार कर्तव्य से अनुपस्थित रहने पर उपर्युक्त भत्तों का भुगतान अनुमान्य नहीं होगा।

5. यह आदेश दिनांक 1-9-2006 से प्रभावी होगा।

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, पत्र संख्या-3ए, (या० भ०)-02/2010-2894, दिनांक 17-3-2010 प्रेषक, रबीन्द्र पवार, सचिव, संशोधन, सेवा में, महालेखाकार, बिहार, पटना।

विषय- राज्य के सरकारी सेवकों को देश के अन्दर छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा प्रदान करने के संबंध में।

निदेशानुसार कहना है कि राज्य के सरकारी सेवकों को केन्द्रीय छुटे वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में पुनरीक्षित वेतनमान एवं भत्तों पर अनुशंसा देने के निमित्त गठित वेतन समिति की अनुशंसा एवं उस पर त्रिसदस्यीय समिति के परामर्श पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिया गया है:-

1. केन्द्रीय कर्मियों जिन्हें पूरे देश की सीमा में Leave Travel Concession (एल० टी० सी०) की सुविधा अनुमान्य है, की तरह राज्य के सरकारी सेवकों को भी पूरे देश की सीमा के अंदर छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा अनुमान्य होगी। परन्तु राज्य के सरकारी सेवकों को उनके पूरे सेवा काल में मात्र दो बार ही यह सुविधा अनुमान्य होगी तथा प्रथम बार छुट्टी यात्रा रियायत सुविधा का उपभोग करने के पश्चात् दूसरी बार छुट्टी यात्रा रियायत सुविधा के उपभोग के बीच कम से कम पाँच वर्ष का अन्तराल होना अनिवार्य होगा।

2. छुट्टी यात्रा रियायत (एल० टी० सी०) की सुविधा राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन वैसे सभी सरकारी सेवकों को अनुमान्य होगी जो यात्रा प्रारम्भ करने की तिथि को एक वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर चुके हैं। यदि अनाधिकृत गैर हाजिर या अन्य कारण से सेवा भंग हुई हो और उसे माफ न किया गया हो, तब उसे एक साल की लगातार सेवा में भी भंग होना माना जायगा।

3. एल० टी० सी० से संबंधित दावा की प्रतिपूर्ति निम्न रूपेण अनुमान्य होगी-

(क)	रेल द्वारा यात्रा अनुमान्य श्रेणी
ग्रेड पे	
8,700 रुपया एवं इससे अधिक	— ए० सी०-2 टीयर शयनयान
4,800-7,600 रुपया	— ए० सी०-2 टीयर शयनयान
2,400-4,600 रुपया	— ए० सी०-3 टीयर शयनयान/कुर्सीयान (ए०सी० चेयर कार)
2,000 रुपया एवं इससे कम	— सामान्य स्लीपर क्लास

(ख) रेल से जुड़े स्थानों के बीच सड़क से यात्रा करने पर सार्वजनिक परिवहन के किसी भी माध्यम द्वारा यात्रा की अनुमति इस शर्त पर होगी कि कुल किराया पात्रता श्रेणी द्वारा रेल किराया, अथवा वास्तविक किराया में जो कम हो, अनुमान्य होगा।

(ग) छुट्टी यात्रा रियायत हेतु ई-टिकट सुविधा एवं रेलवे के वातानुकूलित प्रथम श्रेणी एवं वायुयान से यात्रा की सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।

4. यह सुविधा सरकारी कर्मों के परिवार के मात्र चार सदस्यों के लिए अनुमान्य होगी।

5. वैसे सरकारी कर्मों जिन्होंने पूर्व के निर्णयों के आलोक में एल० टी० सी० सुविधा का उपयोग किया है, वे भी इस प्रावधान के अधीन छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा का उपभोग पूर्व के प्रावधान के तहत उपभोग किये गये एल० टी० सी० सुविधा के पाँच वर्ष के अन्तराल बाद कर सकेंगे।

6. यह आदेश दिनांक 1-4-2010 से प्रभावी होगा तथा इस आदेश के प्रभावी होने की तिथि से गृह यात्रा छुट्टी रियायत (एल० टी० सी०) की सुविधा अनुमान्य नहीं रह जायेगी।

7. वित्त विभाग द्वारा पूर्व में इस संदर्भ में निर्गत सभी परिपत्रों/पत्रों को इस पत्र में अंकित प्रावधानों के हद तक संशोधित समझा जाय।

[बिहार सरकार, वित्त विभाग, पत्र संख्या 3ए-3 (या० भ०)-02/10-293, दिनांक 12 जनवरी, 2011 की प्रतिलिपि।]

विषय— राज्य के सरकारी सेवकों को देश के अन्दर छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा के संबंध में निर्गत परिपत्र में संशोधन।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक राज्य के सरकारी सेवकों को केन्द्रीय छठे वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में पुनरीक्षित वेतनमान एवं भत्तों पर अनुशंसा देने के निमित्त गठित वेतन समिति की अनुशंसा एवं उस पर त्रिसदस्यीय समिति के परामर्श के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सरकार के सरकारी सेवकों को देश के अन्दर छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा प्रदान संबंधित वित्त नियमावली परिपत्र सं०-2894, दिनांक 17 मार्च 2010 निर्गत किया गया है।

उपरोक्त परिपत्र सं०-2894, दिनांक 17 मार्च 2010 की कड़िका-3 में निम्नलिखित अतिरिक्त प्रावधान किये जाते हैं :-

(क) भारत अन्तर्गत वैसे पर्यटन स्थल जो रेल मार्ग से जुड़ा न हो जैसे-अंडमान निकोबार जहाँ जाने के लिए रेल मार्ग पानी का जहाज/हवाई जहाज दोनों की यात्रा करनी पड़ती है, वैसे स्थिति में रेल यात्रा के लिए वित्त विभागीय परिपत्र सं०-2894, दिनांक 17 मार्च 2010 की कड़िका-3 के अनुसार दावा प्रतिपूर्ति तथा पानी के जहाज से तय किये जाने वाले दूरी के लिए पानी के जहाज के द्वितीय श्रेणी का वास्तविक किराया अनुमान्य होगा। पानी की जहाज से तय की जाने वाली दूरी की यात्रा हवाई जहाज से किये जाने पर भी पानी के जहाज को द्वितीय श्रेणी का वास्तविक किराया ही अनुमान्य होगा।

(ख) भारत अन्तर्गत वैसे पर्यटन स्थल जहाँ पहुँचने के लिए रेल एवं सड़क दोनों से यात्रा करना पड़ता है, वैसे स्थिति में रेल द्वारा तय की गई दूरी के लिए परिपत्र सं०-2894, दिनांक 17 मार्च 2010 की कड़िका-3 के अनुसार दावा प्रतिपूर्ति की जा सकेगी। शेष दूरी सार्वजनिक परिवहन के किसी भी माध्यम द्वारा की जा सकेगी परन्तु कुल किराया पात्रता श्रेणी द्वारा उतनी दूरी के लिए अनुमान्य रेल भाड़ा से अधिक नहीं होगा। अन्य राज्यों के परिवहन/पर्यटन निगमों की वाहन से शेष दूरी की यात्रा किये जाने पर उसका वास्तविक भाड़ा अनुमान्य होगा।

(ग) वित्त विभागीय परिपत्र सं० 2894, दिनांक 17 मार्च 2010 की अन्य शर्तें यथावत् रहेगी।

(घ) यह स्वीकृत्यादेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।